(50)

माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – /आर/2017 छतरपुर R-1437-I-17

(1) मनमोहन रिछारिया तनय स्व. श्री ठाकुरदास रिछारिया
(2) श्रीमती हीरा रिछारिया पत्नी मनमोहन रिछारिया
निवासीगण ग्राम नया गांव तहसील नॉगांव जिला छतरपुर (म0प्र0)
—— प्राथीगर्ण

बनाम

अशोक कुमार पाराशर तनय श्री जागेश्वर प्रसाद पाराशर निवासी स्टेडियम के सामने नॉगाव जिला छतरपुर
—— प्रतिप्रार्थी

प्रार्थना पत्र विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार तहसील नॉगांव जिला छतरपुर के प्रकरण क. 7/अ–70/2016–17 पारित आदेश दिनांक 28.03.2017 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

महोदय,

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

(1) यहकि, विचारण न्यायालय के द्वारा प्रार्थी को सूचना दिये बिना विधि विरूद्ध तरीके से सीमांकन के आधार पर धारा 250 के सम्बन्ध में आपत्ति का निराकरण बिना जॉच किये निरस्त किये जाने में भूल की है ।

(2) यह कि, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रार्थी के द्वारा कराये गये सीमांकन के विरूद्ध निगरानी प्रकरण क. 391/I/2017 छतरपुर विचाराधीन है । उसके अंतिमतह निराकरण न हो जावे तब तक धारा 250 की कार्यवाही जारी रखना, विधि एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के विपरीत है ।

(3) यहकि, प्रार्थी तथा प्रतिप्रार्थी के मध्य उपरोक्त सीमांकन के पूर्व भी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1437–एक/2017 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–06–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार नौगांव जिला छतरपुर के प्र0 कं0 7/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 28–3–2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रचलित संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में राजस्व मण्डल न्यायालय से स्थगन आदेश के अभाव में कार्यवाही को निरंतर रखा तथा आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाकर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया है। किसी वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन आदेश के न होने से बेदखली की कार्यवाही को न रोके जाने में तहसीलदार द्वारा कोई अनियमितता अथवा अवैधानिकता नहीं की गई है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	